रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 1994/फाल्गुन 30, 1915
No. 42] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 1994/PHALGUNA 30, 1915

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1994

संकल्प

स. 23/2/93—पी. आई.-1.—औषधि कंपनियों से, उनके द्वारा 1981 और 1987 के बीच प्रपुंज औषधियों और विनिर्मितियों के विक्रय के लिए प्रभारित कीमतों से उद्भूत वसूली की जानी है;

और औषधि उद्योग से अधिक संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

और इस मामले में ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जैसा कि औषधि कीमत नियंत्रण आदेश, 1979 के अधीन व्यादेश है;

और सरकार ने एक समिति द्वारा संपूर्ण मामले का पुनर्विलोकन कराने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब भारत सरकार ने निम्नलिखित रूप में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है :—

न्यायमूर्ति श्री आर. एल. गुप्ता न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	अध्यक्ष
श्री पी. के. मट्टू मुख्य सचिव (सेवा निवृत्त) हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
श्री जे. एस. अय्यर मुख्य सलाहकार (लागत) (सेवानिवृत्त) भारत सरकार	सदस्य

समिति का कार्यकाल 6 मास का होगा जिसमें वह सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

समिति 1981 और 1987 के बीच (जब तक औषधि कीमत नियंत्रण आदेश, 1979 प्रवृत्त रहा) औषधि कंपनियों द्वारा अधिक प्रभारित रकम पर औषधि कंपनियों के दायित्व का अवधारण —

(i) कीमत पुनर्विलोकन समिति (मूर्ति समिति) की सिफारिशों के अनुसार; और

(ii) 1990 में विभाग द्वारा यथाअवधारित कार्रवाई की दिशा के अनुसार,

करेगी ।

समिति नई दिल्ली में कार्य करेगी, जो इसका मुख्यालय होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

स्वतंत्रा सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

New Delhi, the 21st March, 1994

RESOLUTION

No. 23|2|93-PI-I.—Whereas recoveries are to be made from the drug companies arising out of prices charged by them for the sale of bulk drugs and formulations between 1981 and 1987;

And whereas a large number of representations have been received from the drug industry;

And whereas there is need to take such action in this matter as is enjoined under the Drug Prices Control Order 1979;

And whereas the Government has decided to get the entire matter reviewed by a Committee;

Now therefore, the Government of India has constituted a three member committee as under :—

Mr. Justice R. L. Gupta Judge, Delhi High Court	Chairman
Mr. P. K. Mattoo Chief Secretary (Retired) Govt. of Himachal Pradesh	Member
Mr. J. S. Iyer Chief Adviser (Cost) (Retired) Govt. of India	Member

The tenure of the committee shall be for 6 months within which it shall submit its recommendations to the Govt.

The committee shall determine the liabilities of the drug companies on the over-charged amounts between 1981 and 1987 (till the Drugs Prices Control Order 1979 remained in force) —

(i) in accordance with the recommendations of the Price Review Committee (Murthy Committee): and

(ii) according to the line of action as determined by the Department in 1990.

The Committee shall function at New Delhi, which shall be its Headquarters.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SWATANTRA SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994